


न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर जिला-ग्वालियर

(म0प्र0)

R. ६७७-८४८



प्रस्तुत
ता आज दि १७.२.१७ को

प्रस्तुत

लल जी सिंह तनय केशव लाल सिंह सा० पहाड़ी तहसील सिहावल
कलक ऑफ कला-सीधी म0प्र0
सजस्व मण्डल ग्वालियर

आवेदक / पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

श्रीलाल सिंह तनय केशव लाल सिंह सा० पहाड़ी तहसील सिहावल
जिला-सीधी म0प्र0

पदुम सिंह तनय केशव लाल सिंह सा० पहाड़ी तहसील सिहावल
जिला-सीधी म0प्र0

- 3- विद्यावती पल्ली स्व० रमानुज सिंह
- 4- देवेन्द्र सिंह पिता स्व० रमानुज सिंह
- 5- सीवेन्द्र सिंह पिता स्व० रमानुज सिंह
- 6- गोविन्द्र सिंह पिता राघव प्रताप सिंह सभी सा० पहाड़ी तहसील
सिहावल जिला-सीधी म0प्र0
- 7- म0प्र0 शासन

—अनावेदकगण / उत्तरार्थीगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 सहपठित धारा
32 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध
आदेश दिनांक-22.12.2016 द्वारा प्रदीप
सिंह चौहान नायब तहसीलदार सिहावल
तहसील सिहावल के न्यायालय मे लंबित
प्रकरण क्र. 76/अ-27/2016-17 व
उन्मान लालजी सिंह विरुद्ध श्रीलाल सिंह
वगैरह

मान्यवर,

निवेदन है कि निम्न तथ्यों के आधार पर आवेदन पत्र

प्रस्तुत है :-

1-

यह कि आतेहन ताजा गतीया

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

(83)

अनुबत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक R/677/म/12, सीधी,

लाभजी / फीलाल

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अधिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---------------------|---|--|
| १२-१-१९ | <p>आवेदक की ओर से श्री <u>चोगोन्द सिंह</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक <u>सिंहावल</u> के प्रकरण क्रमांक <u>७६/अ.२८/१६-१७</u> में पारित आदेश दिनांक <u>२२।१२।१६</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला <u>सीधी</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>१८-४-१९</u> को कलेक्टर जिला <u>सीधी</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>  | |